भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *413

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

.....

भूजल प्रबंधन योजना

***413. श्री डी.के.सुरेश:**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना आंरभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत आज तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के लिए गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है एवं उपयोग में लाई गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

"भूजल प्रबंधन योजना' के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *413 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जी, हां। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा देश में कार्यान्वित की जा रही भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएम एवं आर) स्कीम चलती रहने वाली एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम है।

इस स्कीम के अंतर्गत की जा रही मुख्य गतिविधियों में पूरे देश के लिए जलभृत मानचित्रण और सीजीडब्ल्यूबी की अन्य गतिविधियां जैसे नियमित आधार पर भूजल स्तर और गुणवत्ता मॉनीटरिंग करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन करना, कतिपय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूजल निकासी का नियमन तथा नियंत्रण और जल की कमी वाले चुंनिदा क्षेत्रों में कुछ प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं को आरंभ करना, तकनीकी उन्नयन के लिए वैज्ञानिक अवसंरचना का सुदृढीकरण करना शामिल है।

(ग): इस स्कीम के अंतर्गत एक प्रमुख कार्य राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) है, जिसे जलभृतों के चित्रण और विशिष्टताओं तथा भूजल प्रबंधन के लिए योजना विकसित करने के उद्देश्यों के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है।

संपूर्ण देश के 33 लाख वर्ग कि.मी. के लगभग कुल भौगोलिक क्षेत्र में से, मानचित्रण योग्य 25 लाख वर्ग कि.मी. के लगभग के क्षेत्र को चरणों में एनएक्यूयूआईएम कार्यक्रम के अंतर्गत कवर करने के लिए चिन्हित किया गया है। अब तक, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 20.24 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर किया जा चुका है। शेष क्षेत्र को मार्च, 2023 तक कवर करना लक्षित है। एनएक्यूयूआईएम के अंतर्गत शमिल राज्य-वार क्षेत्र को **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। इसके अलावा, उपयुक्त मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष कार्यों के लिए जलभृत मानचित्रों और प्रबंधन योजनाओं को राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राजस्थान (69,875 वर्ग कि.मी.), गुजरात (31,436 वर्ग कि.मी.) और हरियाणा (2,644 वर्ग कि.मी.) के शुष्क/अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के लगभग 1.04 लाख वर्ग कि.मी. में जलभृत संबंधी सूचनाओं और उनकी त्वरित उत्पत्ति के लिए हैली-बॉर्न सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया गया है। इस कार्य को अप्रैल, 2022 तक पूरा किया जाना लक्षित है।

इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत अन्य गतिविधियों को सीजीडब्ल्यूबी द्वारा उन्हें प्राप्त अधिदेशों और लक्ष्यों/समय-सीमा के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है। इस संबंध में विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिए गए हैं।

(घ): गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जीडब्ल्यूएम एवं आर स्कीम के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई कुल निधियां निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	आवंटन (करोड़ रूपए)	व्यय (करोड़ रूपए)
2018-19	277.47	270.70
2019-20	257.41	251.33
2020-21	140.81	138.06
2021-22	185.00	158.69 (24.03.2022 की स्थिति अनुसार)

****

अनुलग्नक-I

"भूजल प्रबंधन योजना" के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *413 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

दिनांक 20.03.2022 की स्थिति के अनुसार एनएक्यूयूआईएम के अंतर्गत कवर किए गए राज्य-वार क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	मानचित्रण के लिए चिन्हित क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	जलभृत मानचित्रण (20/3/2022 की स्थिति के अनुसार) के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1	अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र	8,249	1,774	800
2	आंध्र प्रदेश	1,63,900	1,41,784	97,285
3	अरुणाचल प्रदेश	83,743	4,703	4,048
4	असम	78,438	61,826	41,437
5	बिहार	94,163	90,567	63,196
6	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	115	115	115
7	छत्तीसगढ़	1,36,034	96,000	87,028
8	दादरा और नगर हवेली	491	490	490
9	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	112	112	0
10	दिल्ली	1,483	1,483	1,483
11	गोवा	3,702	3,702	3,702
12	गुजरात	1,96,024	1,60,978	1,38,012
13	हरियाणा	44,212	44,179	44,179
14	हिमाचल प्रदेश	55,673	8,020	8,020
15	जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश	1,67,396	9,506	9,506
16	झारखंड	79,714	65,797	60,311
17	कर्नाटक	1,91,808	1,91,808	1,53,200
18	केरल	38,863	28,088	27,938
19	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	32	32	32
20	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	54,840	963	963
21	मध्य प्रदेश	3,08,000	2,65,234	1,67,035
22	महाराष्ट्र	3,07,713	2,56,529	2,10,116
23	मणिपुर	22,327	2,559	2,559
24	मेघालय	22,429	10,645	9,542
25	मिजोरम	21,081	700	700
26	नगालैंड	16,579	910	910
27	ओडिशा	1,55,707	1,19,636	94,918
28	पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र	479	454	454
29	पंजाब	50,368	50,368	50,368
30	राजस्थान	3,42,239	3,34,152	2,89,910
31	सिक्किम	7,096	1,496	280
32	तमिलनाडु	1,30,058	1,05,829	1,05,829
33	तेलंगाना	1,11,940	1,04,824	97,521
34	त्रिपुरा	10,492	6,757	6,757
35	उत्तर प्रदेश	2,41,345	2,41,345	1,98,624
36	उत्तराखंड	53,484	11,430	10,916
37	पश्चिम बंगाल	88,752	71,947	36,465
	कुल	**32,89,081**	**24,96,742**	**20,24,649**

******

अनुलग्नक-II

"भूजल प्रबंधन योजना" के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *413 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

<u>जीडब्ल्यूएम एवं आर स्कीम के अंतर्गत अन्य गतिविधियां</u>

सीजीडब्ल्यूबी प्रत्येक वर्ष, वर्ष में चार बार, क्षेत्रीय स्तर पर, अन्वेषण कुंओं के नेटवर्क के माध्यम से देश में भूजल के स्तर की मॉनीटरिंग करता है। इसके अलावा, वर्ष में एक बार देश में में विभिन्न स्थानों से भूजल गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग के भाग के रूप में भूजल नमूनों को एकत्रित किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से सीजीडब्ल्यूबी द्वारा देश में गतिशील भूजल संसाधनों का आवधिक आकलन किया जाता है। सीजीडब्ल्यूबी ने एक वेब-आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से भूजल संसाधनों के शीघ्र आकलन के लिए एक आकलन की त्वरित गणना के लिए एक सॉफ्टवेयर का विकास किया है। वर्ष 2020 के लिए हाल ही में किया गया आकलन इसी सॉफ्टवेयर प्रणाली से किया गया है।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत किया गया है। सीजीडब्ल्यूए, 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जहां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विनियमन नहीं किया गया है, के व्यवहार्य क्षेत्रों में उद्योगों, अवसंरचना यूनिटों और खनन परियोजनाओं के भूजल की निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करता है। अखिल भारतीय प्रयोज्यता के साथ भूजल निकासी के नियंत्रण और विनियमन हेतु नए दिशा-निर्देशों को 24 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था।

चयनित 3 आकांशी जिलों जैसे महाराष्ट्र में उसमानाबाद, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कडापा जिले और तेलंगाना में, जनगांव जिले में गतिशील कृत्रिम पुनर्भरण कार्यों को सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पूरा कर लिया गया है। बहुत से चैक बांध, परकोलेशन टैंक, उप-सतही बाधा, पुनर्भरण कुंओं और पुनर्भरण शाफ्ट आदि को वर्षा जल के संचयन के लिए निर्मित किया गया था।

इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूबी ने महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र, जिसमें वर्धा और अमरावती के जिले कवर होते है, में पांच स्थानों पर पयेजल उद्देश्यों हेतु प्रतिप्रवाह की ओर जल के भूजल पुनर्भरण और जल के भंडारण हेतु ब्रिज सह बंधारा (बीसीबी) का निर्माण, गतिशील कृत्रिम पुनर्भरण कार्य हेतु पायलेट परियोजना को पूरा करने के लिए किया है। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान, राजस्थान और हरियाणा के जल की कमी वाले कतिपय क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण परियोनजाओं को आरंभ किया गया है, जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी ने अपना अधिदेश पूरा करने के लिए प्रभावी कार्य हेतु बहुत से वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद की है जिसमें प्रयोगशाला उपकरण, वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर, वाहन, एयर कम्प्रेसर, जनरेटर सहायक उपकरण, रिग आदि शामिल हैं।

******